

## विज्ञाप्ति

विज्ञाप्ति संख्या: 957 / उ०आ०वि० / अधि० / विज्ञाप्ति / 2021-22  
दिनांक: 09 जुलाई, 2021

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर (वेतनमान: रु 144200-218200, एकेडमिक लेबल 14) के रिक्त पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निर्धारित प्रारूप पर भरकर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 02 अगस्त, 2021 की अपराह्न: 5:00 बजे तक है। विज्ञापित पदों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	विभाग	पदों की संख्या
01	सहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	02 (01 SC, 01 UR)
02	क्रिया शारीर	01 (01 UR )
03	द्रव्यगुण विज्ञान	02 (01 SC, 01 OBC)
04	स्वस्थवृत्त एवं योग	01 (01 EWS)
05	अगद तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक	02 (01 SC, 01 UR)
06	बाल रोग (कौमार भृत्य)	01 (01 UR)
07	प्रसूति एवं स्त्री रोग	01 (01 OBC)
08	शालाक्य तंत्र	02 (01 SC, 01 UR)
09	काय चिकित्सा	02 (01 UR, 01 OBC)
10	पंचकर्म	02 (01 SC, 01 UR)
<b><u>TOTAL</u></b>		<b>16</b>
		<b>UR – 07, EWS- 01, OBC – 03, SC – 05</b>

### नोट:-

(1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं/पूर्व सैनिकों/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/कुशल खिलाड़ियों/राज्य आन्दोलनकारी (माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन)/उनके पात्र आश्रितों/शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षेत्रिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) अन्तिम प्रक्रिया तक रिक्तियों की संख्या बिना पूर्व सूचना के बढ़ाई अथवा घटायी जा सकती है अथवा सम्पूर्ण विज्ञाप्ति/आंशिक विज्ञाप्ति निरस्त की जा सकती है, तदनुसार आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार उत्तर योग्य नहीं होगा।

(3) Abbreviations: SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जन जाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, UR = सामान्य, EWS = आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। केवल उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाण—पत्र धारक

ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणी एवं क्षेत्रिज आरक्षण का लाभ लेने के लिये अर्ह है।

## महत्वपूर्ण जानकारी

विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार पत्र जारी होने मात्र से ही अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति/भर्ती हेतु दावा मान्य नहीं होगा। साक्षात्कार के सम्बन्ध में तिथि की सूचना यथा समय पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाईट तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन—पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS अथवा ई—मेल द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थी को साक्षात्कार पत्र विश्वविद्यालय की ई—मेल के माध्यम से भेजे जायेगें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के सभी प्राविधान व शर्तें तथा अन्त में दिये गये निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ लें।

### 1. प्रोफेसर पद हेतु शैक्षिक योग्यता एवं अनुभवः—

अनिवार्य/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :-

#### (क) अनिवार्य अर्हता—

1. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।
2. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।
3. अनुभव— सम्बन्धित विषय में कुल दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में सह—आचार्य (प्रवाचक) के रूप में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल दस वर्षों का अनुसंधान अनुभव।

नोट :- सम्बन्धित विषय में नियमित डॉक्टरेट (Ph.D.) उपाधि धारक को एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अनुमन्य होगा।

(ख) अधिमानी अर्हता— शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन।

#### 2. आयु सीमा— अधिकतम आयुसीमा— 55 वर्ष

- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

1. वैवाहिक परिस्थिति – सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

## 2. आरक्षण :-

- (1) **ऊर्ध्व आरक्षण**— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
- (2) **क्षैतिज आरक्षण**— उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अमुम्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी के लिए चिन्हित होगा।
- (1) “पूर्व सैनिक” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कभी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। नोट—पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- (2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।
- (3) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों लिए 04%, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% (माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन) तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- (4) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- (5) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-01 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे परिषद्/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।

(6) आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार होगा। चयन के समय उपलब्ध पदों के आधार पर ही आरक्षित/अनारक्षित श्रेणियों में चयन की कार्यवाही की जायेगी।

**नोट:- यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) का अध्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तो EWS के लिए आरक्षित पद को अनारक्षित वर्ग से भरा जा सकता है। अतः सम्बन्धित विषय हेतु अनारक्षित वर्ग के अध्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।**

**5— शुल्कः— अध्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के नाम देय हो, अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।**

क्रमसंख्या	श्रेणी	शुल्क
1.	अनारक्षित (सामान्य)	रु0 2000/- मात्र
2.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)	रु0 2000/- मात्र
3.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	रु0 1500/- मात्र
4.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०टी०)	रु0 1500/- मात्र

**6— राष्ट्रीयता:-** सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अध्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अध्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। परन्तु यह भी कि यदि कोई अध्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अध्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

**7— चरित्रः—** सीधी भर्ती के लिए अध्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपर्युक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी :-** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी व्यक्ति नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे।

**8— आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.uau.ac.in](http://www.uau.ac.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।** निर्धारित प्रारूप पर ही अध्यर्थी अपना आवेदन (परीक्षा शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में), अनापति प्रमाण पत्र एवं समस्त शैक्षिक/वांछनीय अहताओं के प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित प्रतियों सहित) कुलसंचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्दयाला, देहरादून-248001 के नाम पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 02.08.2021 की अपराह्न 05:00 बजे तक प्रेषित कर सकते

हैं। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। उक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन के लिफाफे के उपर अनिवार्य रूप से विज्ञप्ति संख्या, आवेदित पद एवं विषय का नाम अनिवार्य रूप से लिखें।

09- आयु की गणना – आयु की गणना अनुसार 01 जुलाई, 2021 के आधार पर की जायेगी। उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु 55 बर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

10- योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में पदों को रिक्त रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11- इस विज्ञप्ति से संबंधित नवीनतम सूचनायें/अद्यतन जानकारियां मात्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित की जायेंगी।

12- यदि कोई भी अभ्यर्थी अनैतिक माध्यम से परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को सम्पर्क स्थापित करता है तो उसका अधर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

13- विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रकाशित विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में विज्ञप्ति निरस्त कर सकता है। इस विज्ञापन में किये गये परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन अथवा दावा मान्य नहीं होगा। तथा विज्ञप्ति के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(नोट :- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति (जिसे निरस्त कर दिया गया है) के माध्यम से शुल्क सहित आवेदन किये गये थे; उनका आवेदन शुल्क चेक/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट द्वारा पते पर डाक के माध्यम से प्रेषित कर लौटा दिया जायेगा।)

कुलसचिव